

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प.1 (5)(24)संस्था/रानिआ/2014/पार्ट-VI/3791

दिनांक: 17/09/2025

कार्यालय आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान कार्यालय जयपुर में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु 05 प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु आमंत्रित निविदा क्रमांक 1058 दिनांक 09.04.2025 (UBIN No. SEC2526SSRC00002) के क्रम में फर्म मैसर्स राम मोहन वर्मा एन्टरप्राइजेज द्वारा निविदा अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक स्था/राउन्यापी/2025/202 दिनांक 27.03.2025 द्वारा डीबार किए जाने के तथ्य को छुपाते हुए निविदा में भाग लिये जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 11 के निबन्धनों में विहित सत्यनिष्ठा की संहिता (code of integrity) को भंग किया गया है।

अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 11 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप फर्म मैसर्स राम मोहन वर्मा एन्टरप्राइजेज द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अन्तर्गत जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि (EMD) DD No.500412 dated 23.04.2025 राशि रुपये 4850/- को एतद् द्वारा समपहृत/जब्त (Forfeit) किया जाता है तथा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन (3) वर्ष की कालावधि हेतु विवर्जित (Debar) किया जाता है।



(नलिनी कठोटिया)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.1 (5)(24)संस्था/रानिआ/2014/पार्ट-VI/3792-97
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 17/09/2025

1. अति० निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. लेखा (बजट/भुगतान) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को sppp portal एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. मै० राममोहन वर्मा, एन्टरप्राइजेज, 40 कवर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर।
6. गार्ड फाईल।



(मनीषा चौधरी)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर